प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 03.02.2021

दिनांक 14.05.2021 को हुए अखिलेश सिंह हत्याकाण्ड से सम्बन्धित वांछित 25 हजार रू0 का इनामिया अभियुक्त फैसल खान गिरफ्तार आलाकत्ल अवैध पिस्टल व कारतूस बरामद (थाना फतनपुर)

दिनांक 14.05.2021 को समय करीब 04:00 बजे थानाक्षेत्र फतनपुर के पाण्डेय तारा में 02 मोटर साइकिल सवार 04 अज्ञात बदमाशों द्वारा अखिलेश सिंह व उमेश सिंह पुत्रगण राधेश्याम सिंह नि0 पाण्डेय तारा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को फायरिंग कर घायल कर दिया गया। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान अखिलेश सिंह की मृत्यु हो गई थी, चिकित्सकों द्वारा मजरूब उमेश सिंह को बेहतर ईलाज हेतु प्रयागराज रेफर कर दिया गया था (जिसका इलाज वर्तमान में पीजीआई लखनऊ में चल रहा है)। वादी की तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 80/21 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री आकाश तोमर के कुशल निर्देशन में फतनपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, व क्षेत्राधिकारी रानीगंज के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक फतनपुर श्री इन्द्रदेव मय हमराह द्वारा कल दिनांक 02.06.2021 को चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के जगतपुर कैलीडीह तिराहा के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त फैसल खान पुत्र स्व0 अमानत उल्ला नि0 रामदेव पट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध पिस्टल .32 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त फैसल खान थाना रानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 128/21 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में भी वांछित अभियुक्त है जिस पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित किया गया था। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 99/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम फैसल खान उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. फैसल खान पुत्र स्व0 अमानत उल्ला नि0 रामदेव पट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 01 अदद पिस्टल .32 बोर (घटना में प्रयुक्त)।
02. 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर।

फैसल खान पुत्र स्व0 अमानत उल्ला नि0 रामदेव पट्टी थाना रानीगंज प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 59/18 धारा 323, 504, 506, 427, 308, 354 ए भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।
2. मु0अ0सं0 119/19 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना रानीगंज प्रतापगढ।
3. मु0अ0सं0 208/19 धारा 323 भादवि थाना रानीगंज प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 266/19 धारा 286, 504, 506 भादवि व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट थाना रानीगंज प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 117/20 धारा 286, 120बी भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 128/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 241/20 धारा 392, 504, 506 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम–

➢ प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रदेव, उ0नि0 विनय कुमार सिंह, उ0नि0 अमित सिंह, उ0नि0 रत्नेश मौर्या, उ0नि0 रामजनम पाण्डेय, उ0नि0 अभिमान सिंह, मु0आरक्षी सुरेन्द्र कुमार, आरक्षी हरेन्द्र सिंह, आरक्षी मुकुल अग्रे, आरक्षी राहुल प्रताप सिंह, आरक्षी अनिल दक्ष, आरक्षी शेरसिंह रावत थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

दिनांक 23.04.2021 को थानाक्षेत्र लालंगज के ग्राम हदिराही में युवक को गोली मारने व दौराने उपचार संबंधित युवक की मृत्यु हो जाने की घटना से सम्बन्धित 01 और अभियुक्त अवैध तमंचा–कारतूस के साथ गिरफ्तार (थाना लालगंज)

दिनांक 23.04.2021 को थानाक्षेत्र लालंगज के ग्राम हदिराही में एक व्यक्ति वरुण तिवारी उर्फ छेदी पुत्र स्व0 भगवती प्रसाद तिवारी नि0 ग्राम हदिराही थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को चुनावी रंजिश को लेकर दूसरे पक्ष के नन्हेंलाल वर्मा पुत्र रामनाथ वर्मा निवासी हदिराही थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ आदि के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिससे उक्त व्यक्ति वरूण तिवारी घायल हो गया थे व दौराने उपचार उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 220/21 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 188 भादंवि का अभियोग 07 व्यक्ति नामजद व 02 व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें धारा 302 भादवि की बढ़ोतरी की गई है।

उक्त अभियोग से संबंधित 06 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना लालगंज के प्रभारी निरीक्षक श्री रणजीत सिंह भदौरिया मय हमराह द्वारा उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित 01 और अभियुक्त नितेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र नन्हेलाल वर्मा निवासी हदिराही थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध तमंचा .32 बोर व 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 325/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

➢ नितेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र नन्हेलाल वर्मा निवासी हदिराही थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीमः– प्रभारी निरीक्षक श्री रणजीत सिंह भदौरिया मय हमराह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।